संख्या–6642 / 9–1–2013–55मेला / 2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाक 31 दिसम्बर, 2013

विषयः– माघ मेला–2014 इलाहाबाद की सुचारू व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वर्ष माघ मेला 2014 का आयोजन गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम तट पर दिनांक 14 जनवरी, 2014 से दिनांक 27.02.2014 के मध्य आयोजित होने जा रहा है। लगभग 44 दिनों तक चलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के इस मेले के मुख्य स्नानपर्वों पर लाखों स्नानार्थियों, तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का समागम होगा।

2– माघ मेला 2014 के सफल आयोजन हेतु बहुत सी तैयारियॉ हो चुकी होंगी और कुछ की जानी अवशेष है। मेले की तैयारियो के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :–

(1) माघ मेला स्थल से चिन्हित किये गये विभिन्न रेलवे स्टेशनों एवं बस स्टेशनों पर नियंत्रित रूप से भीड़ को पहुंचाने तथा उन्हें व्यवस्थित रूप से ट्रेनों व बसों में बैठने हेतु राज्य सरकार एवं रेलवे प्रशासन के मध्य समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि नियंत्रित एवं सुनियोजित रूप से स्नान हेतु आयी भीड़ को निर्धारित रेलवे स्टेशनों की ओर गाईड कर गंतव्य स्थल हेतु उन्हें ट्रेनों में बैठाया जा सके। इसी प्रकार की व्यवस्था बस स्टेशनों व बसों के लिए भी की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि रेलवे विभाग, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 एवं परिवहन विभाग के अधिकारी मेला कन्ट्रोल रूम में अवश्य उपस्थित रहें तथा निरन्तर मेला प्रशासन के सम्पर्क में रहें।

(2) मेले की विशेष तिथियों पर भीड़ की अनुमानित संख्या का आंकलन करके पर्याप्त संख्या में ट्रेनें व बसें चलायीं जायं। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जो भी ट्रेनें व बसें यात्रियों से भरती जांय उन्हें तत्काल रवाना किया जाता रहे।

(3) इलाहाबाद नगर एवं मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाली भीड़ के लिए जो होल्डिंग एरिया बनाया जाय तथा उनमें भीड़ को नियोजित रूप से रोकने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा पार्किंग क्षेत्र को भी कियाशील रखा जाय।

(4) भीड़ को दिशा निर्देश देने एवं नियंत्रित करने के लिए जो बूथ बनाये जायें उनमें निरन्तर स्पष्ट रूप से उद्घोषणा की जानी चाहिए ताकि जन–सामान्य को यह ज्ञात होता रहे कि उन्हें किस दिशा में तथा किस स्टेशन पर जाना है तथा उनके लिए बसों एवं ट्रेनों की क्या उपलब्धता है।

(5) सी0सी0टी0वी0 व बैरीएबुल साईन बोर्ड पूर्ण रूप से चालू हालत में रहने चाहिए एवं इनके माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सघन मानीटरिंग की जाए। सभी प्रशासकीय एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जांय कि वे भीड़ के मूवमेन्ट पर निगाह रखें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जाम न लगे एवं भगदड़ न होने पाये।

(6) रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आवागमन के समय की एवं प्लेट फार्म को इंगित करने के लिए स्पष्ट रूप से लगातार उद्घोषणा की जाती रहे। इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(7) मेला क्षेत्र में कहीं भी दल–दल व कीचड़ न होने पाये इसके लिए संबंधित जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी सतर्क रहें। इसके लिए जल निगम तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिये जायें।

(8) स्नान से संबंधित घाटों के संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि कहीं घाटों का कटान तो नहीं हो रहा है और यही निगरानी पान्टून पुलों पर भी रखी जाय। जल पुलिस को भी स्नान के समय सतर्क रहने के निर्देश दिये जायें।

(9) यातायात नियंत्रण के लिए जो भी योजना बनायी जाय उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाय तथा आपदा प्रबन्धन योजना को भी कियाशील किया जाय। यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सिविल डिफेन्स आदि के वालेन्टियर को भी लगाया जाय।

(10) चिकित्सालयों एवं एम्बुलेन्सों को भी कियाशील रखा जाय ताकि किसी भी आकस्मिक घटना के समय त्वरित राहत मिल सके व कोई विलम्ब न होने पाये।

(11) माघ मेला के विशेष तिथियों/पर्वो के पूर्व सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक अपने स्तर पर करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( जावेद उस्मानी )
मुख्य सचिव।

संख्या–6652 (1)/9–1–2013तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/लोक निर्माण/सिंचाई/ऊर्जा/परिवहन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/आवास/संस्कृति/पर्यटन /सूचना /दुग्ध/वन एव पर्यावरण/ उद्यान /खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।

3– कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को नगर विकास विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

3/1/2013

( श्रीप्रकाश सिंह )
विशेष सचिव।

FG